

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर वन मंडल (सा0) दक्षिण बैतूल के अन्तर्गत भैंसदेही वन परिक्षेत्र के कक्ष क्रमांक आर.एफ. 766 एवं पी. एफ. 1023 में विण्ड फार्म द्वारा विद्युत लाइन बिछाने हेतु 1.400 हेक्टेयर वन भूमि मेसर्स, प्रबंधक, बैतूल विण्ड फार्म्स लिमिटेड, खामला, तहसील भैंसदेही, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश को उपयोग पर देने बाबत निम्न शर्तों के अधीन अनुशंसा की जाती है:- 1. राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक एफ-एन.ओ. /7-9-2010-एनटीसीए(पार्ट) नई दिल्ली दिनांक 01.10.2019 की सभी शर्तों का अक्षरशः पालन किया जाएगा तथा कृत कार्यवाही की प्रति माननीय वन मंत्रीजी के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएगी। 2. इस कार्य से वनक्षेत्र एवं वन्य प्राणियों पर पड़ने वाले विपरीत प्रभावों को दूर करने के लिए समस्त आवश्यक कार्यवाहियों की जायेंगी और कृत कार्यवाही से माननीय वन मंत्रीजी के कार्यालय को अवगत कराया जाएगा। 3. अन्य सभी लागू अधिनियमों तथा नियमों का अक्षरशः पालन किया जाएगा।
----	---	---

दिनांक: ०६-०३-२०२०

स्थान: भोपाल


 (एच.एस. मोहन्ता)
 (एच.एस. मोहन्ता)
 मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग
 सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)